बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक–06/02/2025

संख्या–6/एन0–07–35/2010 (अंश)–128(6)/ भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ–ए0एन0एम0) संवर्ग में चयन, नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–

(i) यह नियमावली "बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) संवर्ग नियमावली, 2025" कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह 16.11.2018 के प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएँ।–जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में –

(i) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ii) "विभाग" से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग;

(iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है; निदेशक प्रमुख (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना;

(iv) "ए0एन0एम0" से अभिप्रेत है ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ;

(v) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग;

(vi) "संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता अथवा ए0एन0एम0 संवर्ग;

(vii) "परिशिष्ट" से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट; तथा

(viii) "मान्यता प्राप्त संस्थान" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार अथवा इससे अधिकृत निकाय से मान्यता प्राप्त संस्थान, परन्तु बिहार राज्य के बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के अनुसार उपयुक्तता शर्तों (Suitability conditions) का पालन करना होगा।

3. संवर्ग का गठन।–बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) का संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। संवर्ग में कुल पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत की जाय।

4. संवर्ग का पदसोपान।– इस संवर्ग की विभिन्न कोटियाँ एवं पद सोपान संलग्न परिशिष्ट के अनुसार होगें।

5. भर्त्ती।– इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती से, प्रतियोगिता परीक्षा एवं नियम–8(ii) में निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी।

6. अर्हताएँ। – मूल कोटि के पद पर सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा समय–समय पर अवधारित अवधि का ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ में प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा, परन्तु बिहार राज्य से बाहर के संस्थानों के मामले में भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली से उपयुक्तता (Suitability) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। अन्य राज्य परिषद में पंजीकृत अभ्यर्थियों को काउन्सेलिंग से पूर्व बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से पंजीकरण करना होगा तथा काउन्सेलिंग के समय या उसके पूर्व बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी चयन एवं नियुक्ति के लिए अयोग्य मानी जायेगी।

7. उम्र सीमा। –

(i) सीधी भर्त्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित की जायेगी।

(ii) बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निगम आदि) स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों/अस्पतालों में संविदा के आधार पर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने वाले अभ्यर्थियों को उसके द्वारा किये गये कार्य अवधि के समतुल्य उसी पद पर अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जायेगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जायेगा, परन्तु यह लाभ संविदा पर वास्तविक सेवा अवधि के लिए ही देय होगा।

परन्तु संविदा पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा तद्समय बिहार राज्य में लागू आरक्षण नीति का अनुसरण करते हुए स्वीकृत पद के विरूद्ध चयन के आधार पर होना चाहिए। ऐसे मामलों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश लागू होंगे।

(iii) विज्ञापन प्रकाशन वर्ष की 1ली अगस्त को उम्र के अवधारण के लिए कट ऑफ डेट माना जायेगा।

8. भर्त्ती की प्रक्रिया।–

(i) नियुक्ति प्राधिकार किसी नियुक्ति वर्ष की 1 ली अप्रैल की स्थिति के अनुसार रिक्ति की गणना एवं रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर यथा संभव उसी वर्ष 30 अप्रैल तक कोटिवार अधियाचना आयोग को भेजेगा।

(ii) अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित के आधार पर मेधासूची तैयार करेगा :–

(क) प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन किया जायेगा। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र भारतीय नर्सिंग काउन्सिल द्वारा निर्धारित ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा।		– 75 अंक
(ख) बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निगम आदि) स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रो/अस्पतालों में संविदा के आधार पर संतोषजनक कार्य अनुभव के लिए प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यदिवसों की संख्या में 05 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा।)		– 25 अंक
परन्तु उक्त कार्यानुभव का लाभ नियम–7(ii) के अनुरूप संविदा पर नियोजित होने पर ही अनुमान्य होगा। संविदा नियुक्ति उसी पद पर होना चाहिए।	कुल	– 100 अंक (अधिकतम)

स्पष्टीकरणः–प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थियों को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंको के प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुणा कर करना होगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 x 0.75 = 37.5 अंक दिये जायेंगे।

(iii) आयोग उपर्युक्त उपनियम (ii) के आधार पर कोटिवार अधियाचित रिक्तियों के अनुसार मेधासूची तैयार करेगा एवं विभाग को अपनी अनुशंसा भेजेगा। विभाग अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की सूक्ष्मता से जाँच करेगा। तत्पश्चात संबंधित नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, पुलिस सत्यापन (पूर्ववृत का) इत्यादि कराते हुए सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्गत नियुक्ति संबंधी दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए नियुक्ति करेगा।

9. परिवीक्षा अवधि।– आयोग के अनुशंसा से महिला स्वास्थ्य कार्यकत्ता (ए0एन0एम0) के पद पर सीधी नियुक्ति के उपरान्त परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार अगले एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ए0एन0एम0) को सेवामुक्त कर सकेगा।

10. सम्पुष्टि।– परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने, निर्धारित प्रारंभिक प्रशिक्षण पूर्ण करने, निर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्ण होने एवं समय–समय पर विभाग द्वारा निर्धारित अन्य सेवा शर्तों को पूर्ण करने पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ए0एन0एम0) की सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी। प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा के संबंध में अलग से दिशा–निर्देश निर्गत किया जायेगा।

11. वरीयता।–महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ए0एन0एम0) की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित मेधासूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

12. इस नियमावली के परिशिष्ट में उल्लेखित इस संवर्ग के पदों पर, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः सम्मिलित समझे जायेंगे।

13. प्रोन्नति के पद–सोपान।–

(i) सेवा में सम्पुष्ट महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ए0एन0एम0) को रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए किसी पद पर निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने पर वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर इस नियमावली के परिशिष्ट में उल्लेखित उच्चतर पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(ii) प्रोन्नति पर विचार करते समय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रोन्नति एवं कालावधि संबंधी समय–समय पर निर्गत अनुदेशों तथा चारित्री या पी0ए0आर0 संबंधी मुहरबन्द लिफाफा पद्धति आदि के संबंध में निर्गत अनुदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

14. विभागीय प्रोन्नति समिति।–

(i) प्रोन्नति, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होंगी।

(ii) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जाएगा।

15. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं का स्थानांतरण।– महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं का स्थानांतरण मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रचलित नियमों/विनियमों/दिशा–निर्देशों के अधीन होगा।

16. आरक्षण।–सरकार के आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों और सरकार द्वारा समय–समय पर सीधी भर्त्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

17. शक्तियों का प्रत्यायोजन।–नियुक्ति प्राधिकार कार्य की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए अपनी कुछ शक्तियों को संबंधित जिले के असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन)/अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/निदेशक, अतिविशिष्ट अस्पताल को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

18. परिधान (यूनिफार्म)।–महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के लिए कर्त्तव्य के दौरान विभाग द्वारा विनिश्चित परिधान धारित करना अनिवार्य होगा।

19. अवशिष्ट मामलें।–इस नियमावली में जिन विषयों के लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं, उस मामले में सरकार की प्रासंगिक संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

20. शंकाओं का निराकरण।–यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई संशय हो तो विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा और इस संबंध में विधि विभाग से परामर्श के पश्चात् विभाग का विनिश्चय अन्तिम होगा।

21. कठिनाई का निराकरण।–यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग ऐसी कठिनाई का निराकरण विधि विभाग से परामर्श के पश्चात् ऐसे आदेश द्वारा कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो।

22. निरसन एवं व्यावृत्ति।–

(i) (क) बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) संवर्ग नियमावली, 2023 को निरसित किया जाता है।

(ख) बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) संवर्ग नियमावली, 2018 को निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसा निरसन के बावजूद भी किया गया कोई भी कार्य या पारित कोई भी आदेश जो अंतिम रूप ले चुका है, जिसके परिणामस्वरूप निहित अधिकारों का सृजन हुआ है वर्तमान नियमों के तहत किया गया माना जायेगा।

परन्तु दिनांक–28.07.2022 को शुरू हुई महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता या (ए0एन0एम0) संवर्ग के पद के लिए कोई भी चयन प्रक्रिया, 2018 या 2023 के निरस्त नियमों के तहत चयन प्रक्रिया के चरण पर ध्यान दिये बिना छोड़ दी जायेगी और वर्तमान नियमों के नियम–7 और 8 में निर्धारित तरीके से नई चयन प्रक्रिया शुरू की जायेगी।

परिशिष्ट

[नियम 2(vii), 4, 12, 13 द्रष्टव्य]

बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता संवर्ग का पदसोपान

क्र0सं0	पदनाम	कोटि
1.	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ए0एन0एम0)	मूल कोटि
2.	वरीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता	प्रोन्नति का प्रथम सोपान
3.	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता पर्यवेक्षिका	प्रोन्नति का द्वितीय सोपान

नोट :– उपर्युक्त सभी कोटि के पदों का वेतन बैंड, ग्रेड–पे एवं पे–लेवल वहीं होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(मनोज कुमार सिंह)

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– 6/एन0–11–08/2021–128(6) पटना, दिनांकः– 06 / 02 / 2025

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद, पटना को सभा/परिषद के पटल पर रखने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (नर्सिंग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/2/2025

सरकार के सचिव